classmate
Date
Page

DATE: 21/09/2020

CLASS: B.A.(H) PART 2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: IIIrd (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 09 (SUPREME COURT: JURISDICTION)

LECTURE NO. - 15 (FIFTEEN)

By.
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ—
(Jurisdiction and Powers of Supreme court)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विश्व के किसी भी न्यायालय की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ प्राप्त हैं। अमेरीका के सुप्रीम कोर्ट की तरह यह परिसंघीय न्यायालय, मूल अधिकारों का संरक्षक तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार है जबकि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक समिति (या सर्वोच्च न्यायालय) की तरह यह देश के सभी सिविल या आपराधिक मामलों के अपील का अंतिम न्यायालय है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या अधिकारिता तथा शक्तियों को इस प्रकार बाँटा जा सकता है—

- मूल या आरंभिक अधिकारिता
- रिट अधिकारिता
- अपीलीय अधिकारिता
- सलाहकारी अधिकारिता
- अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ
- न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ
- अन्य शक्तियाँ व अधिकारिताएँ

Scanned with CamScanner

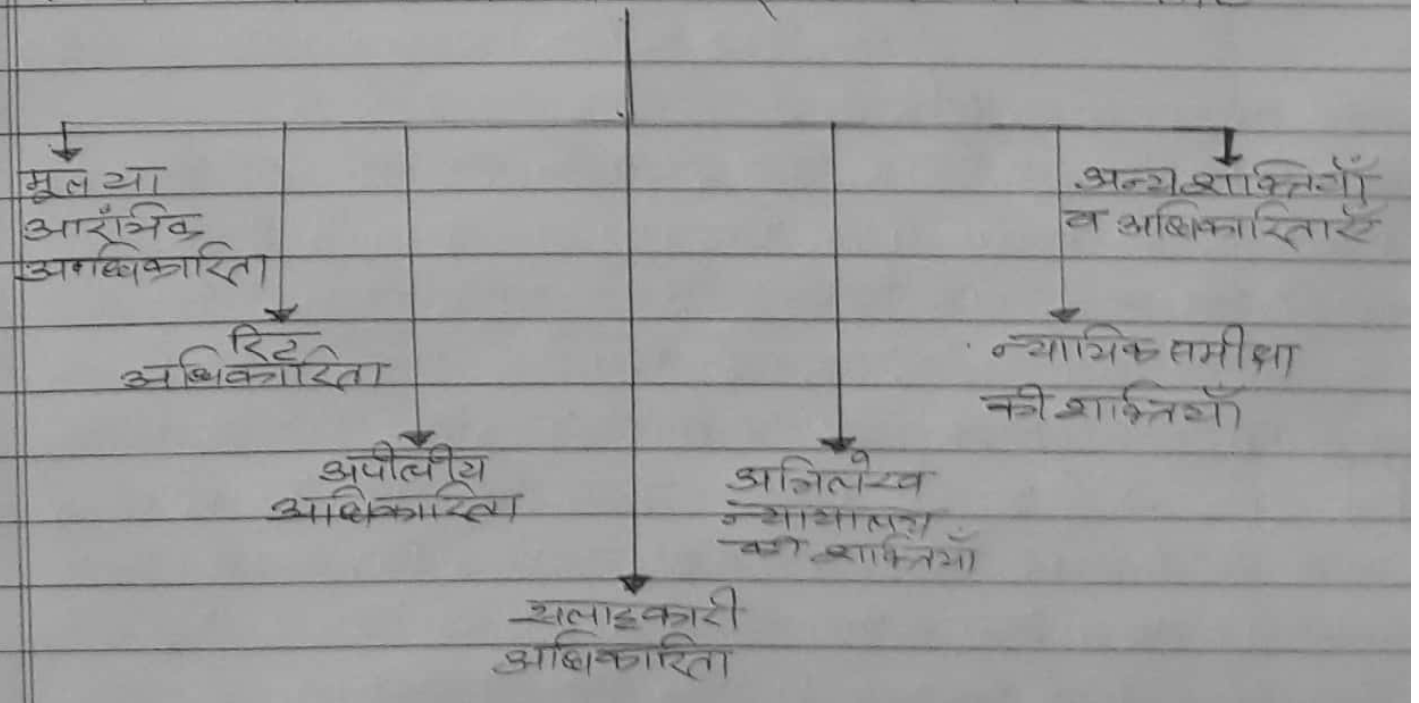

(1) मूल या आरंभिक अधिकारिता :
(Original Jurisdiction) :

इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिक विस्तृत रूप से देखें तो निम्न के मध्य किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु सुनवाई करता है—

(i) केंद्र व एक या अधिक राज्यों के मध्य ;

(ii) केंद्र एवं कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना तथा एक अथवा राज्यों का दूसरी तरफ होना ;

(iii) दो या अधिक राज्यों के मध्य ।

सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं है—

(i) अंतर्राज्यीय जल विवाद ।

(ii) वित्त आयोग से संबंधित मामले ।

(iii) केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन का समझौता ।

(iv) केंद्र व राज्यों के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति तथा साधारण विवाद ।

(v) केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई ।

(vi) कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा, सनद एवं अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो, आदि ।

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

(2) रिट अधिकारिता :
(Writ Jurisdiction)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता दी गई है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु पाँच प्रकार का रिट जारी करता है, ये हैं

(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus)
(ii) परमादेश (Mandamus)
(iii) प्रतिषेध (Prohibition)
(iv) उत्प्रेषण (Certiorari)
(v) अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto)

सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अन्तर्निहित अधिकारिता का व्यापक प्रयोग किया है, जिसकी व्यापकता लोकहितवादी जनहित याचिका (Public Interest Litigations) के माध्यम से देखने को मिलती है।

अनुच्छेद 139 के अनुसार संसद उचित मामलों तो अन्तर्निहित अधिकारिता का विस्तार कर सकती है।

(3) अपीलीय अधिकारिता :
(Appellate Jurisdiction)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132, 133, 134 तथा 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है। इस अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित चार शीर्षकों के द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है—

(i) संवैधानिक मामलों में अपील

(ii) दीवानी मामलों में अपील

(iii) आपराधिक मामलों में अपील

(iv) विशेष अनुमति द्वारा अपील।

सर्वोच्च न्यायालय की शेष अधिकारिता आगले अध्याय में—